न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी का नाम – बृजेश गुप्ता (R.A.S)
मुकदमा नम्बर – 47/2018
किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र
दायर दिनांक – 07.02.2018
निर्णय दिनांक – 07.01.2025

अनवान

1. तुलसीराम पिता चम्पालाल ब्राह्मण निवासी बामनटुकडा तहसील व जिला राजसमंद।
2. मोहनलाल पिता मियाराम ब्राह्मण निवासी बामनटुकडा तहसील व जिला राजसमंद।
3. परसराम पिता मियाराम ब्राह्मण निवासी बामनटुकडा तहसील व जिला राजसमंद।
4. किशनलाल पिता मियाराम ब्राह्मण निवासी बामनटुकडा तहसील व जिला राजसमंद।
5. नारायणलाल पिता मियाराम ब्राह्मण निवासी बामनटुकडा तहसील व जिला राजसमंद।
6. लक्ष्मी पत्नि मियाराम ब्राह्मण निवासी बामनटुकडा तहसील व जिला राजसमंद।

_____प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजसमन्द जिला राजसमन्द।

_____विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित
अधिवक्ता प्रार्थीगण – श्री अक्षय पालीवाल
विपक्षी – पेरोकार राज

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बामनटुकडा पटवार हल्का बामनटुकडा तहसील राजसमन्द में स्थित आराजी संख्या 1261 रकबा 01–16 बीघा भूमि जिसके साबिक नम्बर 506/2 थे, प्रार्थीगण के दादा वजेराम पिता आनन्दा के नाम पर मेवाड सेटलमेन्ट के समय से राजस्व रिकॉर्ड मे बतौर खातेदार दर्ज थी। वजेराम की मृत्यु के बाद उनके पुत्र चम्पालाल के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज होनी थी किन्तु त्रुटीवश उक्त भूमि प्रार्थीगण के पिता के नाम दर्ज नही हुई। सेटलमेन्ट विभाग ने नियमों के विपरीत जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि को बिलानाम गैर काबिल काश्त भूमि दर्ज कर दी, जो विधि व नियमों के विपरीत है। अतः साबिक आराजी नम्बर 506/2 रकबा 01–16 बीघा भूमि जिसके नये आराजी नम्बर 1261 रकबा 01–16 बीघा भूमि जो सेटलमेन्ट विभाग ने बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज कर दी जिसे दुरस्त करते हुए पूनः प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सम्मन जारी किये गये। विपक्षी सरकार की और से तहसीलदार राजसमन्द ने प्रार्थना पत्र के क्रम मे जवाब/ मौका रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि मेवाड सेटलमेन्ट मे आराजी नम्बर 506/2 का रकबा 00–04 बीघा ही दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा नही है न ही पी 14 मे प्रार्थीगण का नाम अंकित है।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी लिखित बहस मे निवेदन किया कि आराजी नम्बर 1261 रकबा 01–16 बीघा भूमि जो वर्तमान मे बिलानाम सरकार दर्ज रिकॉर्ड है जिसके साबिक आराजी नम्बर 506/2 मेवाड सेटलमेन्ट के समय प्रार्थीगण के दादा वजेराम पिता आनन्दा के नाम बतौर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड थी। उक्त खातेदारी भूमि को बिना विक्रय पत्र या न्यायालय के आदेश से खातेदारी अधिकारी या किस्म परिवर्तन नही किया जा सकता इसके बावजुद सेटलमेन्ट विभाग ने बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज कर दिया, जो उचित नही है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

Scanned with ACE Scanner

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी लिखित बहस मे निम्न न्यायिक दृष्टांत लिखित मे प्रस्तुत किए

1. RBJ 1996 पेज 8 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि- RAJASTHAN LAND REVENUE ACT- 1956 & SECTION 136 - Wrong entry made during settlement opreation can be corrected by Land Record Officer-
2. 2003 RBJ 118 रूपनारायण बनाम कजोडीमल RAJASTHAN LAND REVENUE ACT] 1956 136 SECTION 136– Settlement Authorities have no power to delete the original entries and make new entries & In this case during the setlement opreations Assistant Settlement Officer deleted the name of the applicant who is a recorded khtedar of the disputed land and made entries in the name of non-applicant whereas settlement authorities have no right to delete the original entry and made new entries without any of the competent court- Revision accepted.
3. 2002 RBJ 332 गिरीराज बनाम भगवत SETTLEMENT ENTRIES Seitlement Authorities requried to repeat existing entries- The Settlement Authorities are requried to repeat entries in existing Jamabandies and could not alter entries without order of competent court- In this case ancestral land was entered in the name of three brothers by the Settlement Officer at the time of settlement- The first appellate court was not justified in setting aside the justified in the setting aside the entries made by Settlement Officer without any basis- Revision accepted-
4. 2009 (2) RBJ 954 मुस्ताक अहमद एवं अन्य बनाम पीरू व अन्य RAJASTHAN LAND Application for REVENUE ACT] 1956 correction of entries- Notice issued to respondent 'P but did not appear & as per jamabandi of Svt- 2034-37, Collector ordered to enter the land, as Siwai Chak in Khata No- 1.L.R.O. is empowered to correct the entries- Settlement authorities have no power to change original entries-Concurrent the findings are just & legal- Held, orders upheld- SECTION 136
5. 2010(2) RRT 814 अचलपुरी एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एवं अन्य RAJASTHAN LAND REVENUE ACT] 1956 SECTION 84 & Board ordered to enter 136 the land in the name of K,M & Mulpuri & gram Panchyat-Khatedar Jethi sold their share to 'S & T & they transfered the land by Regd- gift deed infavour of the Muncipal Board-In advertantly 1/4 share entered in the name of'S & T only- Error can be rectified by the land record officer wsec- 136 by giving opportunity of hearing to opposite party-Even otherwise the Board has not committed any error in excrcising the powers Asee- 9 Held- Petition is devoid of merits & liable to be dismissed.
6- 1997 RRD 504रू पुसाराम बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एवं अन्य (A) Raj Land Revenue Act] Sections 125 & 136 Land Records Officer is

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

Scanned with ACE Scanner

competent under sections to and 125 of the Act after the settlement operations are over, to coreet the ror erept in record of rights during settlement operations- (B) Interpretation of Statutes When the Legislature makes certain provisions in a Act, the presumption is that it is for some purpose and every part of the statute has its effectbecause the Legislature never waste its words or say anything in vain-A construction which attributes redundancy to the legislature can not be eccepted except for compelling reasons-

उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तो में माननीय न्यायालयो ने यह माना है कि सेटलमेंट के दौरान की गई त्रुटी को भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत दूरस्त किये जाने के प्रावधान है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की कलम संख्या–1 में वर्णित कृषि आराजी संख्या 1261 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा भूमि पुनः प्रार्थीगण के नाम किये जाने के आदेश फरमावे।

हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण व विपक्षी पेरोकार सरकार को सुनकर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत् 2077 अनुसार राजस्व ग्राम बामनटुकडा पटवार हल्का बामनटुकडा तहसील राजसमन्द में स्थित आराजी संख्या 1261 रकबा 01–16 बीघा भूमि की किस्म नाडा होकर राजस्व रिकॉर्ड मे बिलानाम सिवायचक दर्ज है। सेटलमेन्ट विभाग के खसरा मिलान पत्रक अनुसार आराजी नम्बर 1261 रकबा 01–16 बीघा भूमि के संबंध मे कॉलम 26 मे शुद्धि आदेश द्वारा बिलानाम सिवायचक दर्ज हुई है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मेवाड सेटलमेन्ट की जमाबन्दी मे आराजी नम्बर 506/2 का रकबा 4 बिस्वा किस्म प. ।।। अंकित है जबकि वर्तमान आराजी नम्बर 1261 का रकबा 01–16 बीघा अंकित होकर किस्म नाडा दर्ज रिकॉर्ड है। गत व वर्तमान क्षेत्रफल एवं भूमि की किस्म से स्पष्ट है कि वर्तमान आराजी नम्बर 1261 के साबिक नम्बर 506/2 नही है। भू प्रबन्ध विभाग के खसरा मिलान पत्रक के कॉलम 26 मे भी त्रुटि दुरस्त करने के आदेश का अंकन है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी मेवाड सेटलमेन्ट उदयपुर, भू प्रबन्ध विभाग के खसरा मिलान पत्रक, जमाबन्दी सम्वत् 2077 अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित नही होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनिम 1956 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमी की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

बृजेश गुप्ता (R.A.S)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमंद

उक्त आदेश आज दिनांक 07.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की गोल मोहर से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमंद

Scanned with ACE Scanner